

संख्या-पी-89/81-2-2023-800(117)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासक।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 2

लखनऊ, दिनांक 24 मई 2023

विषय- जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco Tourism  
 prupose b/w Ch. 88+690 to 88+750 Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S. in  
 Village Gar Banger Tehsil-Garmukteswar District Hapur हेतु 0.048 हे० सराक्षित  
 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्वन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-  
 एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 3868/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक  
 06.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राईवेट पिकनिक स्पॉट हेतु सम्पर्क  
 मार्ग हेतु सराक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में क्या  
 प्रावधान हैं ?

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 24-05-2023 18:05:37

Reason: Approved

उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3733/11सी- FP/UP/Approach/150358/2021 दिनांक, लखनऊ, मई 26 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार  
 वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित  
 सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध  
 कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़बांगर, हापुड़ को सूचनार्थ एवं  
 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।